

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जीयनपुर

**भारी मात्रा में अवैध गांजा (79.530 कि०ग्रा०, कीमत लगभग -12 लाख रूपये) बरामद, 04 गांजा तस्कर गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस व अन्य उपकरण भी बरामद।**

आज दिनांक- 25.06.2022 को SHO यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह, उ०नि० सौरभ सिंह प्रभारी चौकी लाटघाट, निरीक्षक गजानन्द चौबे प्रभारी स्वाट द्वितीय व उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल के साथ लाटघाट पुल पर गोरखपुर की तरफ से आने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि सुबह लगभग 05.15 बजे एक सफेद रंग की सफारी गाडी आती दिखी जिसे रुकने का इशारा किया गया तो चालक गाडी को भगाना चाहा किन्तु गाडी एकाएक बन्द हो गयी और उसमें बैठे चारो लोग गाडी से उतर कर भागना चाहे कि हमराह पुलिस बल की मदद से उन्हे गाडी में ही पकड लिया गया और पकडी गयी सफारी गाडी को सडक के किनारे खडा कराकर गाडी में बैठे ब्यक्तियो का बारी-बारी से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ब्यक्ति ने जो गाडी चला रहा था अपना नाम राहुल पुत्र दुर्गाबिजय निवासी अटौली थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर 2.अमन तिवारी पुत्र विभिषण तिवारी निवासी शहबाजपुर थाना कासीमाबाद जनपद गाजीपुर,3-रूपाली बर्मन पत्नि स्व० बिजय बर्मन निवासीनी पिल्लांजी-गलान्दिहाबी पार्ट ऑउदालगुरी आसाम,4.रमेला नरजारी पत्नि स्व० थरड्यूस नरजारी निवासीनी बल्ला गान उदलगुरी आसाम बताये गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 79.530 कि०ग्रा० अवैध गांजा,01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,01 अदद इलेक्ट्रानिक तराजू एक झोले में 167 अदद पैकिंग की खाली पन्नी व नगद 8,100 रुपया,07 अदद मोबाइल बरामद किया गया। एक अदद सफारी चार पहिया वाहन बिना नम्बर रंग सफेद को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1-मु०अ०सं० 409/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु०अ०सं० 410/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्त राहुल पुत्र दुर्गाबिजय निवासी अटौली थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि बहुत दिनों से गांजे की तस्करी कर रहे है। आसाम से मंगवाकर आजमगढ़ व आस-पास के जनपदों में सप्लाई करते है। लेकिन इसके पूर्व में कभी पकड़े नही गये है। इस काम में महिलाओं का सहारा लेते है, ताकि हमलोगों के ऊपर कोई शक न करें।

**पंजीकृत अभियोग –**

1-मु०अ०सं० 409/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2-मु०अ०सं० 410/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्त राहुल

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

- 1- राहुल पुत्र दुर्गाबिजय निवासी अटौली थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर
- 2- अमन तिवारी पुत्र विभिषण तिवारी निवासी शहबाजपुर थाना कासीमाबाद जनपद गाजीपुर
- 3- रूपाली बर्मन पत्नि स्व० बिजय बर्मन निवासीनी पिल्लांजी-गलान्दिहाबी पार्ट ऑउदालगुरी आसाम
- 4- रमेला नरजारी पत्नि स्व० थरड्यूस नरजारी निवासीनी बल्ला गान उदलगुरी आसाम

**बरामदगी-**

- 1- 79.530 कि०ग्रा० अवैध गांजा, (कीमत लगभग- 12 लाख रूपये/-)
- 2- 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,
- 3- 01 अदद इलेक्ट्रानिक तराजू एक झोले में 167 अदद पैकिंग की खाली पन्नी व नगद 8,100 रुपया
- 4- 07 अदद मोबाइल व एक अदद सफारी बिना नम्बर रंग सफेद सीज

## गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. SHO यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह का0 प्रमोद यादव, का0 देवब्रत वर्मा, का0 हरिकिशन, म0 का0 अन्नू थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 सौरभ सिंह प्रभारी चौकी लाटघाट मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़।
3. निरीक्षक गजानन्द चौबे प्रभारी स्वाट द्वितीय जनपद आजमगढ़।
4. का0 प्रदीप पाण्डेय, का0 जगतपति, का0 सुनील प्रजापति, का0 अवनीश सिंह स्वाट टीम।
- 5- उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल, कम्प्यूटर आपरेटर चन्द्रमा मिश्रा, आरक्षी यशवन्त सिंह, आरक्षी उमेश यादव, आरक्षी आलोक सिंह, आरक्षी इन्द्रेश, आरक्षी जनपद आजमगढ़ ।